[2018] 6 एस.सी.आर 688

अविनाश सी. और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

सिविल अपील संख्या 3543–3555/2018

अप्रैल 04, 2018

[न्यायमूर्ति, आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति, आर. एफ. नरीमन]

सेवा विधि–चयन प्रक्रिया–रद्द करना–उम्मीदवारों से रिश्वत की मांग का आरोप–राज्य में समूह 'ए' और समूह 'डी' के पदों को भरने के लिए अधिसूचना के अनुसार कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा किए गए चयन से मामला उत्पन्न हुआ–परीक्षाओं के संचालन के साथ–साथ साक्षात्कार में कदाचार और अनियमितताओं की शिकायतें थीं–अध्यक्ष, सदस्य और केपीएससी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी–सी. आई. डी. की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार ने लिखित परीक्षा के साथ–साथ व्यक्तित्व परीक्षण के मूल्यांकन को रद्द करने का निर्देश दिया–हालांकि, केपीएससी ने चयन सूची प्रकाशित की–राज्य ने नियुक्तियों के लिए मांग को वापस ले लिया–न्यायाधिकरण के समक्ष सफल उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दिए गए आदेश, जिसने राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे उम्मीदवार जिनकी नियुक्ति की वैद्यता सरकार द्वारा संदेहास्पद पायी गयी, उनको नियुक्त करने का आदेश त्रुटिपूर्ण पारित किया है।

उच्य–न्यायालय ने पुनः उम्मीदवारों और के. पी. एस. सी. के सदस्यों के बीच कॉल विवरण के रूप में रिकॉर्ड पर सामग्री का उल्लेख किया है–उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने वाले सभी सदस्यों द्वारा विशेष उम्मीदवारों को बिल्कुल समान अंक दिए गए–व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा कोई वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं किया गया था–566 उम्मीदवारों को वही अंक दिए गए थे जो पूर्व निर्धारित प्रतीत होते थे–के. पी. एस. सी. भवन में डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को साक्ष्य को नष्ट करने के लिए बदल दिया गया था–उच्च न्यायालय के इस विचार में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है कि चयन को बनाए रखा जा सकता था–यदि चयन किसी भी तरह से दूषित पाया जाता है, तो चयन प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस तरह के चयन को रद्द करने के लिए संबंधित प्राधिकारी के लिए हमेशा खुला रहता है–प्रक्रिया के दौरान ही दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। चरण में, चयन प्रक्रिया को रद्द करने के निर्णय में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब यह स्पष्ट रूप से मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या अवैध हो–प्रश्नगत मामले में, उच्च न्यायालय ने इन मापदंडों को सही ढंग से लागू किया है और चयन को रद्द करने के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं पाया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्याएँ 3543–3555/2018

उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर द्वारा दिनांक 09.03.2018 को रिट याचिका संख्या 13617 से 13627/2017 तथा रिट याचिका सं॰ 14529/2017 में पारित निर्णय एवं आदेश से

देवदत्त कामत, एडिशनल एड. जनरल, वी. गिरि, गुरु कृष्ण कुमार, राजू रामचंद्रन, साजन पूवय्या, नागमोहन दास, एम. बी. नरगुंड, सीनियर एड., निशांत पाटिल, सुश्री के. परमेश्वर, पिथनीश एम. के., प्रसन्ना मोहन, बी. एल. आचार्य, सुश्री अनुराधा मुतातकर, मृणाल शंकर, प्रियदर्शी बनर्जी, शरणश कुमार, शरणश जैन, मेका वेंकटरामा कृष्ण, ईश्वर मोहंती, बालाजी श्रीनिवासन, एस. एन. भट, वी. एन. रघुपति, राजेश इनामदार, जावेदुर रहमान, परीक्षित पी. अंगड़ी, आदित्य भट, पी. सिंह, बालाजी श्रीनिवासन, सुश्री रेखा चंद्र शेखर, एच. चंद्र शेखर, विक्रम फडके, अश्विन वी. कोटेमाथ, श्रीमती एस. उषा रेड्डी, अधिवक्तगण उपस्थित पक्षकारों की ओर से

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

<u>आदेश</u>

1. हमने उन पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है जिन्होंने उपस्थिति दर्ज की है।प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम उन सभी पक्षों को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं समझते हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

2. यह मामला कर्नाटक राज्य में समूह 'ए' और समूह 'डी' के 362 पदों को भरने के लिए दिनांकित 3.11.2011 अधिसूचना के अनुसार कर्नाटक लोक सेवा आयोग ("केपीएससी") द्वारा किए गए चयन से उत्पन्न होता है।परीक्षा 22.04.2012 पर आयोजित की गई थी।मुख्य परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा 15.12.2012 और 16.01.2013 के बीच आयोजित की गई थी।साक्षात्कार 01–04–2013 और 27.05.2013 के बीच आयोजित किए गए थे।

3. परीक्षाओं के साथ–साथ साक्षात्कार के संचालन में कदाचार और अनियमितताओं की शिकायतें थीं।यह आरोप लगाया गया था कि उम्मीदवारों से रिश्वत की मांग की गई थी।केपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य और कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सी. आई. डी. की 10 सितंबर, 2013 की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने 15 दिसंबर, 2013 को लिखित परीक्षा के साथ–साथ व्यक्तित्व परीक्षण के मूल्यांकन को रद्द करने का निर्देश दिया।हालांकि, के. पी. एस. सी. ने चयन सूची प्रकाशित की।राज्य सरकार ने 14.08.2014 पर नियुक्तियों की माँग को वापस ले लिया।

4. उपरोक्त आदेश को सफल उम्मीदवारों द्वारा कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी।न्यायाधिकरण ने 19 अक्टूबर, 2016 के आदेश के माध्यम से राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति का निर्देश दिया।कुछ चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गई हैं।

5. न्यायाधिकरण के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया।उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

> "55. नतीजतन, इन रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसारः
>
> क) लिखित याचिका संख्या 13617–13627/2017 और 14529/2017 और लिखित याचिका संख्या 11342/2017 स्वीकार की जाती है।
>
> बी) कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बैंगलोर द्वारा आवेदन संख्या 6268/2014 से 6395/2014 c/w 6432/2014 से 6444/2014, 6446/2014 से 6459/2014, 6597/2014 और 6598/2014, 7464/2014, 7941/2014 से 7946/2014, 7950/2014 से 7966/2014, 7967/2014, 7968/2014, 7969/2014, 9112/2014 से 9126/2014, 9592/2014 से 9610/2014 और 8298/2015 में पारित सामान्य आदेश को रद्द कर दिया जाता है।
>
> ग) कर्नाटक सरकार के उप सचिव, डी. पी. ए. आर. सेवाओं द्वारा जारी गैर–आधिकारिक नोट, गैर–आधिकारिक नोट संख्या 139 सी. ए. एस. यू. 139 सालोसा 2016 दिनांक 17.3.2017 को रद्द कर दिया जाता है।
>
> घ) निदेशक, नगर प्रशासन, बेंगलुरु द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन, आधिकारिक ज्ञापन संख्या 19457 डी. एम. ए. 32 के. ए. एम. ए. एस. 2016–17 दिनांक 27.03.2017 को रद्द कर दिया जाता है।
>
> ई) के. पी. एस. सी. द्वारा तैयार अंतिम चयन सूची दिनांक 21.03.2014 के अनुसार जारी किए गए नियुक्ति के सभी आदेश अवैध घोषित किए जाते हैं और रद्द कर दिए जाते हैं; और
>
> च) सरकारी आदेश, सरकारी आदेश सं। CaaSuE 53 SALoSa 2014, बैंगलोर दिनांक 14.8.2014, ए जारी किए गए अनुरोधों को वापस लेते हुए के. पी. एस. सी. को 2011 के लिए राजपत्रित परिवीक्षाधीनों के चयन और चयन प्रक्रिया को बंद करने के लिए बनाए रखा गया है।"

6. उच्च न्यायालय ने कहा कि अयोग्य, अक्षम या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की नियुक्ति से सरकार के कामकाज पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह कानून के शासन के लिए अभिशाप है।सरकारी सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ चयन संविधान का अधिदेश था।केवल चयन सूची में होने से उम्मीदवारों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने उन व्यक्तियों की नियुक्ति का निर्देश देने में गलती की, जिनके चयन की वैधता पर सरकार द्वारा गंभीर संदेह किया गया था।

7. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों और के. पी. एस. सी. के सदस्यों के बीच कॉल विवरण के रूप में रिकॉर्ड पर सामग्री का उल्लेख किया है। उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने वाले सभी सदस्यों ने विशेष उम्मीदवारों को बिल्कुल समान अंक दिए।व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा कोई वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं किया गया था।अंक देने में बाहरी कारण प्रतीत होते हैं।566 उम्मीदवारों को वही अंक दिए गए जो पूर्व निर्धारित प्रतीत होते थे।केपीएससी भवन में डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को सबूतों को नष्ट करने के लिए बदल दिया गया था।मामले के इस दृष्टिकोण में, हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं पाते हैं कि चयन को बनाए नहीं रखा जा सकता था।यदि चयन किसी भी तरह से दूषित पाया जाता है, तो चयन प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस तरह के चयन को रद्द करने के लिए संबंधित प्राधिकारी के लिए हमेशा खुला रहता है।प्रक्रिया के दूषित होने पर हमेशा दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करना आवश्यक नहीं हो सकता है।इसके अलावा, नियुक्ति से पहले के चरण में, चयन प्रक्रिया को रद्द करने के निर्णय में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब यह स्पष्ट रूप से मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या अवैध हो।वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने इन मापदंडों को सही ढंग से लागू किया है और चयन को रद्द करने के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं पाया है।

8. कुछ पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि लिखित परीक्षा किसी भी अनियमितता से दूषित नहीं होती है और इसे बनाए रखा जा सकता है।साक्षात्कार फिर से आयोजित किए जा सकते हैं।

9. चूंकि यह विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया प्रतीत होता है, इसलिए हम आज से दो सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय का रुख करके दोनों पक्षों में से किसी को भी इस विवाद को उठाने की अनुमति देते हैं।यदि ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो उच्च न्यायालय गुण–दोष के आधार पर इसकी जांच कर सकता है।यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि लिखित परीक्षा किसी भी दोष से मुक्त है, तो उच्च न्यायालय लिखित परीक्षा के परिणाम को बहाल करने और आगे की चयन प्रक्रिया आयोजित करने पर विचार कर सकता है। यह सभी उम्मीदवारों की लिपियों के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने या लिखित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के लिए भी खुला रहेगा ताकि नए सिरे से चयन किया जा सके।हम प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं, जिन पर उच्च न्यायालय विचार कर सकता है। उच्च न्यायालय इस मामले में अधिमानतः उच्च न्यायालय के स्थानांतरित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द निर्णय ले सकता है।

अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

Jai Shankar Mishra